रजिस्ट्री सं० डी० 222 REGISTERED No. D. 222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 32] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 1970/भाद्र 14, 1892
No. 32] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 1970/ BHADRA 14, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए विधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 मई, 1970

सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा अधीक्षक ग्रेड (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1970

का० नि० आ० 252.—सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 के नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये विनियम सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा, अधीक्षक ग्रेड (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1970 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो —

(क) "उपलब्ध रिक्तियों" से सेवा के अधीक्षक ग्रेड की वे रिक्तियां जिन्हें परीक्षा के परिणाम पर भरे जाने का विनिश्चय किया जाए, अभिप्रेत हैं;

(ख) 'परीक्षा' से केन्द्रीय सेवाओं, वर्ग 1 और 2, में भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है; और

(ग) "अनुसूचित जातियां" और "अनुसूचित जन जातियों" के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और खण्ड (25) में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968 में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं।

3. **परीक्षा आयोजित करना.**—(1) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसी रीति से जैसी भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, आयोजित की जाएगी।

(2) जिन तारीखों को और जिन स्थानों पर परीक्षा आयोजित की जानी हो, वे सरकार द्वारा नियत किए जाएंगे।

4. **पात्रता की शर्तें**—परीक्षा में बैठने का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी चाहिए ; अर्थात् :—

(i) राष्ट्रिकता—

(क) वह भारत का नागरिक अवश्य हो, या

(ख) वह ऐसे व्यक्ति प्रवर्गों का हो जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिसूचित किए जाएं।

(ii) आयु —उसने, जिस वर्ष परीक्षा हुई हो उस वर्ष के अगस्त के प्रथम दिन को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर ली हो और 24 वर्ष की आयु पूरी न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसे अन्य व्यक्ति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिसूचित किए जाएं उच्चतम आयु सीमा, प्रत्येक प्रवर्ग की बाबत अधिसूचित सीमा तक और शर्तों के अध्यधीन, शिथिल की जा सकेंगी।

(iii) शैक्षिक अर्हताएं —उसके पास भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय, या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालयों के रूप में समझे जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षिक संस्थानों, या सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री अवश्य हो या वह ऐसी अर्हता अवश्य रखता हो जिसे परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई हो।

परन्तु—

(क) असाधारण स्थितियों में, आयोग उस अभ्यर्थी को, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताएं न रखता हो तथापि जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित ऐसे स्तर की परीक्षाएं पास कर ली हों जिनसे अभ्यर्थी का परीक्षा में प्रवेश न्यायोचित ठहरता हो, अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी मान सकेगा; और

(ख) उस अभ्यर्थी को भी जो अन्यथा अर्हित हो किन्तु जिसने विदेशी विश्वविद्यालय, जो सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है, से डिग्री ली हो, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा।

टिप्पण—वह अभ्यर्थी जो ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाए किन्तु जिसे परीक्षा के परिणाम की सूचना नहीं दी गई हो, परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन दे सकता है। वह अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का आशय रखता है आवेदन दे

सकता है परन्तु यह तब जबकि अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व समाप्त हो गई हों। अगर अन्यथा पात्र है तो ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, किन्तु प्रवेश अनन्तिम समझा जाएगा और रद्द किया जा सकेगा, यदि वे यथासम्भव शीघ्र, और किसी भी अवस्था में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने के दो मास पश्चात् तक, परीक्षा पास कर चुकने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते।

(IV) परीक्षा में प्रयत्न—उस सूरत के सिवाय जिसमें अभ्यर्थी इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित अपवादों में से किसी के अन्तर्गत आता हो, वह 1 जनवरी, 1961 के पश्चात् हुई प्रतियोगात्मक परीक्षा में एक से अधिक बार न बैठ चुका होना चाहिए।

टिप्पण— यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक सेवाओं या पदों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा में बैठता है तो उसे सामान्यतया परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं या पदों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा में बैठा हुआ समझा जाएगा।

टिप्पण 2— यदि अभ्यर्थी वस्तुतः किसी एक या एक से अधिक विषयों की परीक्षा दे देता है तो उसे प्रतियोगात्मक परीक्षा में बैठा हुआ समझा जाएगा।

(V) फीस— ऐसी छूटों या रियायतों या दोनों के अध्यधीन जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिसूचित की जाएं अभ्यर्थी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस संदत्त करेगा।

5 **अभ्यर्थिता के लिए संरक्षण**.— अभ्यर्थी की ओर से किसी भी ढंग से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न आयोग द्वारा ऐसा आचरण माना जा सकता है जो उसे परीक्षा में प्रवेश से निरर्हित कर दे।

6. **पात्रता के बारे में विनिश्चय** — परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

7. **परिणाम** — (1) उन अभ्यर्थियों के नाम, जो परीक्षा के परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाएं योग्यताक्रम में रखे जाएंगे और विनियम 8 के उपविनियम (5) के उपबन्धों के अध्यधीन की जाने के लिए अपेक्षित नियुक्तियों की संख्या तक उसी क्रम में उन्हें नियुक्त किए जाने की सिफारिश की जाएगी।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा के परिणाम की संसूचना के प्ररूप और रीति का विनिश्चय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा और परिणामों के सम्बन्ध में आयोग अलग-अलग अभ्यर्थी से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

8. **नियुक्तियां** — (1) परीक्षा में सफलता से सेवा के लिए अधीक्षक ग्रेड में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि ऐसी जांच के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

(2) कोई भी अभ्यर्थी जब तक सेवा के अधीक्षक ग्रेड में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह, ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् जैसी सरकार विहित करे, ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष से जिससे सेवा के कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ने की संभावना हो, मुक्त न पाया जाए :

(3) वह व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित है या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी

के जीवन काल में होता है, और वह स्त्री जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी, परीक्षा के परिणाम के आधार किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति को इस उपविनियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार है, आदेश दे सकेगी कि उसे छूट दी जाए :

(4) इस नियम के उपविनियम (5) में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी परीक्षा के परिणाम स्वरूप सेवा के अधीक्षक ग्रेड में नियुक्तियां आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों के योग्यता-क्रम में उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक, सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अध्यधीन की जाएंगी :

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों में से किसी के भी वे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशासन की कुशलता बनाए रखने पर उचित ध्यान देते हुए, आयोग द्वारा परीक्षा के परिणामों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए, परीक्षा में योग्यता-क्रम में उनके स्थान पर ध्यान दिए बिना, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति न किये जाने के पात्र होंगे ।

किन्तु यदि सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो न भरी गई रिक्तियां सरकार द्वारा विहित प्रकार से भरी जाएंगी ।

9. **प्रतिरूपण या अन्य अवचार के लिए शास्ति.**— जो अभ्यर्थी प्रतिरूपण या गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिन्हें बिगाड़ा गया है प्रस्तुत करने, या ऐसे कथन जो गलत या झूठे हों करने, या तात्विक सूचना दबाने या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लेने, या परीक्षा-भवन में नाजायज साधन प्रयुक्त करने या प्रयुक्त करने का प्रयत्न करने या परीक्षा- भवन में कदाचार करने का दोषी है या आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है, वह आपराधिक अभि- योजन के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त ,—

(क) (1) अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, आयोग द्वारा ; और

(2) अपने अधीन नियोजन के लिए, सरकार द्वारा ;

स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है :

(ख) यदि वह पहले ही सरकार के अधीन सेवा में हो तो समुचित नियमों के अधीन वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायित्वाधीन हो सकता है :

[फाईल सं० 94455/सी ए ओ (डी पी सी)]

का० नि० आ० 253.—सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968, के नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा निम्न-लिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये विनियम सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा, सहायक ग्रेड (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1970 कहे जा सकेंगे ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**.—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "उपलब्ध रिक्तियों" से सेवा के सहायक ग्रेड की वे रिक्तियां जिन्हें परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरे जाने का विनिश्चय किया जाए, अभिप्रेत है ;

(ख) "परीक्षा" से सेवा के सहायक ग्रेड और ऐसी सेवाओं, विभागों या कार्यालयों में सहायक के पदों जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाएं पर सीधी भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है ; और

(ग) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जन जातियों" के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और खण्ड (25) में क्रमशः उन्हें दिए गए है ।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1968, में क्रमशः उन्हें दिए गए है ।

3. **परीक्षा आयोजित करना**.—(1) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसी रीति से जैसी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए आयोजित की जाएगी ।

(2) जिन तारीखों को और जिन स्थानों पर परीक्षा आयोजित की जानी हो, वे सरकार द्वारा नियत किए जाएंगे ।

4. **पात्रता की शर्तें**— परीक्षा में बैठने का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :—

(i) **राष्ट्रिकता** —

(क) वह भारत का नागरिक अवश्य हो, या

(ख) वह ऐसे व्यक्ति प्रवर्ग का हो जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिसूचित किए जाएं ।

(ii) **आयु**— उसने, जिस वर्ष परीक्षा हुई हो उस वर्ष के जनवरी के प्रथम दिन को 20 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर ली हो और 24 वर्ष की आयु पूरी न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसे अन्य व्यक्ति प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिसूचित किए जाएं, उच्चतम आयु सीमा प्रत्येक प्रवर्ग को बाबत अधिसूचित सीमा तक और शर्तों के अध्यधीन शिथिल की जा सकेगी ।

(iii) **शैक्षिक अर्हताएं** — उसके पास भारत में, केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय, या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित, या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालयों के रूप में समझे जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षिक संस्थानों, या सरकार द्वारा समय समय पर अनुमोदित विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री अवश्य हो या वह ऐसी अर्हता अवश्य रखता हो जिसे परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा मान्यता दे दी गई हो :

परन्तु—

(क) असाधारण स्थितियों में, आयोग, उस अभ्यर्थी को, जो यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताएं न रखता हो तथापि जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित ऐसे स्तर की परीक्षाएं पास कर

ली हों जिनसे अभ्यर्थी का परीक्षा में प्रवेश न्यायोचित ठहरता हो, अर्हताप्राप्त अभ्यर्थी मान सकेगा; और

(ख) उस अभ्यर्थी को भी जो अन्यथा अर्हित हो किन्तु जिसने विदेशी विश्वविद्यालय जो सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं है, से डिग्री ली हो, आयोग के विवेकानुसार परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकेगा ।

टिप्पण—वह अभ्यर्थी जो ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाए किन्तु जिसे परीक्षा के परिणाम की सूचना नहीं दी गई हो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन दे सकता है । वह अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का आशय रखता है आवेदन दे सकता है परन्तु यह तब जबकि अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व समाप्त हो गई हो । अगर अन्यथा पात्र हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, किन्तु प्रवेश अनन्तिम समझा जाएगा और रद्द किया जा सकेगा, यदि वे यथासम्भव शीघ्र और किसी भी अवस्था में इस परीक्षा के आरम्भ होने के दो मास पश्चात तक, परीक्षा पास कर चुकने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते ।

(iv) **परीक्षा में प्रयत्न** — उस सूरत के सिवाय जिसमें अभ्यर्थी इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित अपवादों में से किसी के अन्तर्गत आता हो, वह 1 जनवरी, 1962 के पश्चात् हुई प्रतियोगात्मक परीक्षा में एक से अधिक बार न बैठ चुका होना चाहिए ।

टिप्पण 1— यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक सेवाओं या पदों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा में बैठता है तो उसे सामान्यतया परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं या पदों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा में बैठा हुआ समझा जाएगा ।

टिप्पण 2— यदि अभ्यर्थी वस्तुतः किसी एक या एक से अधिक विषयों की परीक्षा दे देता है तो उसे प्रतियोगात्मक परीक्षा में बैठा हुआ समझा जाएगा ।

(v) **फीस**— ऐसी छूटों या रियायतों या दोनों के अध्यधीन जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिसूचित की जाएं अभ्यर्थी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस संदत्त करेगा ।

5. **अभ्यर्थिता के लिये संयाचना**.— अभ्यर्थी की ओर से किसी भी ढंग से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न आयोग द्वारा ऐसा आचरण माना जा सकता है जो उसे परीक्षा में प्रवेश से निरर्हित कर दे ।

6. **पात्रता के बारे में विनिश्चय** .— परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

7. **परिणाम**.—(1) उन अभ्यर्थियों के नाम, जो परीक्षा के परिणामस्वरूप आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाएं योग्यताक्रम में रखे जाएंगे और विनियम 8 के उप-विनियम (5) के उपबन्धों के अध्यधीन की जाने के लिए अपेक्षित नियुक्तियों की संख्या तक उसी क्रम में उन्हें नियुक्त किए जाने की सिफारिश की जाएगी ।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी की परीक्षा के परिणाम की संसूचना के प्ररूप और रीति का विनिश्चय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा और परिणामों के सम्बन्ध में आयोग अलग अलग अभ्यर्थी से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा ।

8. **नियुक्तियां**.— (1) परीक्षा में सफलता से सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि ऐसी जांच के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है ।

(2) कोई भी अभ्यर्थी तब तक सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात् जैसी सरकार विहित करे, ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष से जिससे सेवा के कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ने की सम्भावना हो, मुक्त न पाया जाए ।

(3) वह व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है, और वह स्त्री, जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी, परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति को इस उपविनियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार हैं, आदेश दे सकेगी कि उसे छूट दी जाए।

(4) इस विनियम के उपविनियम (5) में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी परीक्षा के परिणामस्वरूप सेवा के सहायक ग्रेड में नियुक्तियां आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों के योग्यता-क्रम में उपलब्ध रिक्तियों की सीमा तक, सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अध्यधीन की जाएंगी ।

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों में से किसी के भी वे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशासन की कुशलता बनाए रखने पर उचित ध्यान देते हुए, आयोग द्वारा परीक्षा के परिणामों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए, परीक्षा में योग्यता-क्रम में उनके स्थान पर ध्यान दिए बिना, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किए जाने के पात्र होंगे :

किन्तु यदि सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है तो न भरी गई रिक्तियां सरकार द्वारा विहित प्रकार से भरी जाएंगी ।

9. **प्रतिरूपण या अन्य अपचार के लिए शास्ति**.—जो अभ्यर्थी प्रतिरूपण या गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिन्हें बिगाड़ा गया है प्रस्तुत करने, या ऐसे कथन जो गलत या झूठे हों करने, या तात्विक सूचना दबाने या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लेने, या परीक्षा-भवन में नाजायज साधन प्रयुक्त करने

या प्रयुक्त करने का प्रयत्न करने या परीक्षा-भवन में कदाचार करने का दोषी है या आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है, वह आपराधिक अभियोजन के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त—

(क) (i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, आयोग द्वारा ; और

(ii) अपने अधीन नियोजन के लिए, सरकार द्वारा ;

स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जा सकता है ।

(ख) यदि वह पहले ही सरकार के अधीन सेवा में हो तो समुचित नियमों के अधीन वह अनुशासनात्मक कार्यवाई के दायित्वाधीन हो सकता है ।

[फाइल सं० 94455/सी ए ओ (डी पी सी)]

सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षाद्वारा नियुक्ति) विनियम, 1970

का० नि० आ० 254.—सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1968 के नियम 11 के उपनियम (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1 **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) ये विनियम सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा (प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त) विनियम, 190 कहे जा सकेंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2: **परिभाषाएं.**—(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों—

(क) "उपलब्ध रिक्तियों" से सेवा के ग्रेड 2 की वे रिक्तियां जिन्हें परीक्षा के परिणाम पर भरे जाने का विनिश्चय किया जाए, अभिप्रेत है ;

(ख) "परीक्षा" से सेवा के ग्रेड II और ऐसी सेवाओं, विभागों या कार्यालयों में आशुलिपिकों के पदों, जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाएं, पर भर्ती के लिए आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है ; और

(ग) "अनुसूचित जातियों" और "अनुसूचित जन जातियों" के वही अर्थ होंगे जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (24) और (25) में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित अन्य सभी शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो सशस्त्र बल मुख्यालय आशुलिपिक सेवा नियम, 1968 में क्रमशः उन्हें दिए गए हैं।

3. **परीक्षा आयोजित करना.**—(1) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसी रीति से जैसी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, आयोजित की जाएगी।

(2) जिन तारीखों को और जिन स्थानों पर परीक्षा आयोजित की जानी हो, वे सरकार द्वारा नियत किए जाएंगे ।

4. **पात्रता की शर्त.**—परीक्षा में बैठने का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें अवश्य पूरी करनी चाहिए, अर्थात् :—

(i) **राष्ट्रिकता**—

(क) वह भारत का नागरिक अवश्य हो, या

(ख) वह ऐसे व्यक्ति-प्रवर्गों का ही जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिसूचित किए जाएं।

(ii) आयु.—उसने, जिस वर्ष परीक्षा हुई हो उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को 18 वर्ष की आयु अवश्य पूरी कर ली हो और 24 वर्ष की आयु पूरी न की हो :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसे अन्य व्यक्ति-प्रवर्गों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाएं, उच्चतम आयु सीमा प्रत्येक प्रवर्ग की बाबत अधिसूचित सीमा तक और शर्तों के अध्यधीन शिथिल की जा सकेगी।

(iii) शैक्षिक अर्हताएं—उसने भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान-मंडल के अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा या माध्यमिक विद्यालय पाठ्यक्रम के अन्त में स्कूल लीविंग, माध्यमिक स्कूल पाठ्यक्रम या हाई स्कूल प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के लिए आयोजित परीक्षा अवश्य पास की हो, या वह अन्यथा कोई अर्हता रखता हो जो, सरकार द्वारा, परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त हो :

परन्तु आपवादिक स्थितियों में कोई अभ्यर्थी जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई अर्हताएं न हो, आयोग द्वारा शैक्षिक रूप से अर्हित माना जा सकता है यदि उसके पास ऐसी अर्हता हो जिसका स्तर आयोग की राय में उसे परीक्षा में प्रवेश पाने को न्यायोचित ठहरता हो।

टिप्पण—वह अभ्यर्थी जो ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसे पास करने से वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाए किन्तु जिसे परीक्षा के परिणाम की सूचना नहीं दी गई हो परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन दे सकता है। यह अभ्यर्थी भी जो ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का आशय रखता है आवेदन दे सकता है परन्तु यह तब जबकि अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पूर्व समाप्त हो गई हो। अगर अन्यथा पात्र हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, किन्तु प्रवेश अनन्तिम समझा जाएगा और यदि वे यथासम्भव शीघ्र, और किसी भी अवस्था में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने के दो मास पश्चात् तक, परीक्षा पास कर चुकने का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते तो रद्द किया जा सकेगा।

(iv) परीक्षा में प्रयत्न—उस सूरत के सिवाय जिसमें अभ्यर्थी इस निमित्त भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित अपवादों में से किसी के अन्तर्गत आता हो, वह 1 जनवरी, 1962 के पश्चात, हुई प्रतियोगात्मक परीक्षा में एक से अधिक बार न बैठ चुका होना चाहिए।

टिप्पण :—यदि अभ्यर्थी एक या एक से अधिक सेवाओं या पदों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा में बैठता है तो उसे सामान्यतया परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं या पदों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षा में एक बार बैठा हुआ समझा जाएगा।

टिप्पण—2—यदि अभ्यर्थी वस्तुतः किसी एक या एक से अधिक विषय की परीक्षा दे देता है तो उसे प्रतियोगात्मक परीक्षा में बैठा हुआ समझा जाएगा।

(v) फीस —ऐसी छूटों या रियायतों या दोनों के अध्यधीन जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा इस निमित्त समय समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थी आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस संदत्त करेगा।

5. **अभ्यर्थिता के लिए समर्थन**—अभ्यर्थी की ओर से किसी भी ढंग से अपनी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयत्न आयोग द्वारा ऐसा आचरण माना जा सकता है जो उसे परीक्षा में प्रवेश से निर्रहित कर दे।

6. **पात्रता के बारे में विनिश्चय**—परीक्षा में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को जिसे आयोग द्वारा परीक्षा में प्रवेश का प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं किया जाएगा ।

7. **परिणाम** —(1) उन अभ्यर्थियों के नाम, जो परीक्षा के परिणाम स्वरूप आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे जाएं योग्यताक्रम में रखे जाएंगे और विनियम 8 के उप-विनियम (5) के उपबन्धों के अध्यधीन की जाने के लिए अपेक्षित नियुक्तियों की संख्या तक उसी क्रम में उन्हें नियुक्त किए जाने की सिफारिश की जाएगी ।

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को परीक्षा के परिणाम की संसूचना के प्ररूप और रीति का विनिश्चय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा और परिणामों के संबंध में आयोग अलग-अलग अभ्यर्थी से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

8. **नियुक्तियां**—(1) परीक्षा में सफलता से सेवा के ग्रेड II में नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि ऐसी जांच के पश्चात् जैसी आवश्यक समझी जाए सरकार का यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए सर्वथा उपयुक्त है ।

(2) कोई भी अभ्यार्थी तब तक सेवा के ग्रेड II में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह, ऐसी चिकित्सीय परीक्षा के पश्चात्, जैसी सरकार विहित करे, ऐसे मानसिक या शारीरिक दोष से जिससे सेवा के कर्त्तव्यों के निर्वहन में बाधा पड़ने की संभावना हो, मुक्त न पाया जाए ।

(3) वह व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं या जो एक पत्नी के जीवित रहते हुए किसी ऐसी दशा में विवाह करता है जिसमें ऐसा विवाह इस कारण शून्य है कि वह ऐसी पत्नी के जीवन काल में होता है, और वह स्त्री, जिसका विवाह इस कारण शून्य है कि उस विवाह के समय उसके पति की पत्नी जीवित थी या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी उस विवाह के समय जीवित थी परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि किसी व्यक्ति को इस उपनियम के प्रवर्तन से छूट देने योग्य विशेष आधार हैं, आदेश दे सकेगी कि उसे छूट दी जाए ।

(4) इस नियम के उपनियम (5) में यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी परीक्षा के परिणामस्वरूप सेवा के II ग्रेड में नियुक्तियां आयोग द्वारा नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए अभ्यार्थियों के योग्यता-क्रम में उपलब्ध रिक्तियों की सीमा, तक, सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के अध्यधीन की जाएंगी ।

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों में से किसी के भी वे अभ्यर्थी जिन्हें प्रशासन की कुशलता बनाए रखने पर उचित ध्यान देते हुए, आयोग द्वारा, परीक्षा के परिणामों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए, परीक्षा में योग्यता-क्रम में उनके स्थान पर ध्यान दिए बिना, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति किए जाने के पात्र होंगे ।

किन्तु यदि सरकार द्वारा इस निमित्त समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यार्थी उपलब्ध नहीं हैं तो न भरी गई रिक्तियां सरकार द्वारा विहित प्रकार से भरी जाएंगी ।

9. प्रतिरूपण या अन्य अवचार के लिए शास्ति.—जो अभ्यर्थी प्रतिरूपण या गढ़े हुए दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज जिन्हें बिगाड़ा गया है प्रस्तुत करने, या ऐसे कथन जो गलत या झूठे हों करने, या तात्विक सूचना दबाने या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लेने या परीक्षा-भवन में नाजायज साधन प्रयुक्त करने या प्रयुक्त करने का प्रयत्न करने या परीक्षा-भवन में कदाचार करने का दोषी है या आयोग द्वारा घोषित कर दिया गया है, वह आपराधिक अभियोजन के दायित्वाधीन होने के अतिरिक्त —

(क) (i) अभ्यर्थियों के चयन के लिए आयोग द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में प्रवेश पाने या किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, आयोग द्वारा ; और

(ii) अपने अधीन नियोजन के लिए, सरकार द्वारा ; स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विसर्जित किया जा सकता है ।

(ख) यदि वह पहले ही सरकार के अधीन सेवा में हो समुचित नियमों के अधीन वह अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायित्वाधीन हो सकता है ।

[फाइल सं० 94550/सी ए ओ (डी पी सी)]

डी० के० भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव ।

New Delhi, the 20th August 1970

S.R.O. 377.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board, Jhansi from the wards noted against each:

1. Shri Ramesh Chander	Ward No. I
2. Shri Bhagwan Das Gupta	Ward No. II
3. Shri Brij Mohan Lal Arora	Ward No. III
4. Shri Duli Chand	Ward No. IV
5. Shri Ashfaquddin	Ward No. V
6. Shri Brij Mohan Misra	Ward No. VI

[File No. 29/61/C/L&C/66/2970-C/1/D(Q&C).]

नई दिल्ली, 20, अगस्त, 1970

का० नि० आ० 377.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, झांसी के निम्नलिखित व्यक्ति उनके सामने लिखी वार्डों से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं :—

1. श्री रमेश चन्द्र	वार्ड नं० 1
2. श्री भगवान दास गुप्ता	वार्ड नं० 2
3. श्री बृज मोहन लाल अरोरा	वार्ड नं० 3
4. श्री दुलीचन्द	वार्ड नं० 4
5. श्री अशफाकुद्दीन	वार्ड नं० 5
6. श्री ब्रज मोहन मिश्रा	वार्ड नं० 6

[(फाइल नं० 29/61/सी० एल० एण्ड सी०/66/2970—सी०/2/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 378.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board, Kasauli from the wards noted against each:

1. Shri Krishan Murti	Ward No. I
2. Shri Satnam Singh	Ward No. II
3. Shri Charan Dass	Ward No. III
4. Shri K. R. Bhalla	Ward No. IV

[File No. 29/38/C/L&C/66/2972-CI1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 378.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, कसौली के निम्नलिखित व्यक्ति उनके सामने लिखी वार्डों से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं:—

1. श्री कृष्ण मूर्ति	वार्ड नं० 1
2. श्री सतनाम सिंह	वार्ड नं० 2
3. श्री चरनदास	वार्ड नं० 3
4. श्री के० आर० भल्ला,	वार्ड नं० 4

[(फाइल नं० 29/38/सी०/एल० एण्ड सी०/66/2972—सी/2/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 379.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board, Deolai from the wards noted against each:

1. Shri Kale Rambhau Dhulaji	Ward No. I
2. Shri Chawla Parasram Moolchand	Ward No. II
3. Shri Ozarkar Prabhakar Shankarrao	Ward No. III
4. Shri Adke Ramkrishna Mukundrao	Ward No. IV
5. Shri Pawar Tulsiram Dadaji	Ward No. V
6. Shri Thaper Harikrishna Sawantmal (alias) Gandamal Seth	Ward No. VI
7. Shri Thakre Bhikaji Ganpatrao	Ward No. VII

[File No. 29/32/C/L&C/66/2969-C/1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 379.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड देवलाली के निम्नलिखित व्यक्ति उनके सामने लिखी वार्डों से सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं :—

1. श्री कालेलाम भाऊ धला जी	वाड नं० 1
2. श्री चावला प्रसानम मूलचन्द	वार्ड नं० 2
3. श्री ओजार कर प्रभाकर शंकर राव	वार्ड नं० 3
4. श्री आदमें रामकृष्ण मुकन्दराव	वार्ड नं० 4
5. श्री पंवार तुलसी राम दादाजी	वार्ड नं० 5
6. श्री थापर हरिकृष्ण सावन्त मल उर्फ गन्दा मल सेठ	वार्ड नं० 6
7. श्री थाकर भीका जी गनपत राव	वार्ड नं० 7

[(फाइल नं० 29/32/सी०/एल० एण्ड सी०/66/2969—सी/2/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 380.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Kamptee by reason of absence for more than three consecutive months from the meeting of the Board by Kumari J. Dilema.

[File No. 19/8/C/L&C/65/2741-C/1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 380.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड कामप्ती की सदस्यता में कुमारी जे० डिलेमा के लगातार तीन मास तक बोर्ड की मीटिंग में अनुपस्थिति के कारण एक रिक्त हो गई है।

[फाइल सं० 19/8/सी०/एल० एण्ड सी०/65/2741-सी० डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 381.—In pursuance of sub-rule (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri G. R. Bedge, Sub Divisional Magistrate Ist Class has been nominated as a member of the Cantonment Board, Kamptee by the District Magistrate, Nagpur in exercise of the powers conferred under section 13(4)(b) of the Act *vice* Kumari J. Dilema since removed.

[File No. 19/8/C/L&C/65/2741-C/2/D(Q&C).]

का० नि० आ० 381.—छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री जी० आर० बज को, कुमारी जे० डिलेमा के स्थान पर छावनी बोर्ड कामप्ती के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल० सं० 19/8/सी०/एल० एण्ड सी०/65/2741–सी2/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

New Delhi, the 26th August 1970

S.R.O. 382.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Jammu by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Captain S. S. Chawla, a nominated member.

[File No. 19/58/C/L&C/66/3023-C/1/D(Q&C).]

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 197०

का० नि० आ० 382.—छावनी अधियियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, जम्मू की सदस्यता में केप्टन एस० एस० चावला के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्त हो गई है।

[फाइल सं० 19/58/सी०/एल० एण्ड सी० 66/3023-सी-3 डी० (क्यू एण्ड सी०)]

S.R.O. 383.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Captain Som Karan has been nominated as a member of the Cantonment Board Jammu *vice* Captain S. S. Chawla who has resigned.

[File No. 19/58/C/L&C/66/3023-C/2/D(Q&C).]

का० नि० आ० 383.—छावनी अधियियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि केप्टन सोम करण को, केप्टन एस० एस० चावला के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड जम्मू के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल सं० 19/58/सी०/एल० एण्ड सी०/68/3023/सी० 4/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 384.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Kanpur by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri R. S. Agarwal Magistrate Ist Class.

[File No. 19/24/C/L&C/65/3027-C/1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 384.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, कानपुर की सदस्यता में श्री आर० एस० अग्रवाल के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्त हो गई है।

[फाइल सं० 19/24/सी०/एल० एण्ड सी०/65/3027-सी०/3/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 385.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri A. P. Verma Magistrate Ist Class has been nominated as a member of the Cantonment Board, Kanpur by the District Magistrate, Kanpur in exercise of the powers conferred under Section 13(3)(b) of that Act *vice* Shri R. S. Agarwal Magistrate 1st Class resigned.

[File No. 19/24/C/L&C/65/3027-C/2/D(Q&C).]

का०नि० आ० 385.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री ए० पी० वर्मा को, श्री आर० एस० अग्रवाल के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड कानपुर के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल० सं० 19/24/सी०/एल० एण्ड सी०/65/3027-पी०/4/डी० (क्य० एण्ड सी०)]

S.R.O. 386.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Faizabad by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri Janardan Prasad Tewari Magistrate Ist Class.

[File No. 19/25/C/L&C/65/3019-C/1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 386.—छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, फैजाबाद की सदस्यता में श्री जनारदन प्रसाद तिवारी के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्त हो गई है।

[फाइल सं० 19/25/सी०/एल० एण्ड सी०/65/3019-सी०-3 डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 387.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Devi Dayal Magistrate Ist Class has been nominated as a member of the Cantonment Board, Faizabad by the District Magistrate, Faizabad in exercise of the powers conferred under Section 13(4)(b) of that Act *vice* Shri Janardhan Prasad Tewari Magistrate Ist Class resigned.

[File No. 19/25/C/L&C/65/3019-C/2/D(Q&C).]

का० नि० आ० 387—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री देवी दयाल को, श्री जनारदन प्रसाद तिवारी के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड फैजाबाद के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

[फाइल सं० 19/25/सी०/एल० एण्ड सी०/65/3019-सी/4/डी० (क्यू० एण्ड सी०)

S.R.O. 388.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Ramgarh by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Captain J. D. Sharma, a nominated member.

[File No. 19/34/C/L&C/65/3020-C-1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 388.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, रामगढ़ की सदस्यता में कैप्टिन जे० डी० शर्मा के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्त हो गई है ।

[फाइल सं० 19/34/सी०/एल० एण्ड सी०/65/3020/सी–3/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 389.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major T. B. Mali has been nominated as a member of the Cantonment Boord Ramgarh *vice* Captain J. D. Sharma, who has resigned.

[File No. 19/34/C/L&C/65/3020-C-2/D(Q&C).]

का० नि० आ० 389.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर टी० बी० माली को, कैप्टिन जे० डी० शर्मा का, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड रामगढ़ के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं० 19/34/सी०/एल० एण्ड सी०/65/3020–4/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 390.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Mhow by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major R. S. Randev, nominated member.

[File No. 19/41/C/L&C/66/3024-C/1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 390.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, महू की सदस्यता में मेजर आर० एस० रनदेव के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्त हो गई है ।

[फाइल० सं० 19/41/सी०/एल० एण्ड सी०/66/3024–सी/3/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 391.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Major D. N. Kapur has been nominated as a member of the Cantonment oBard Mhow *vice* Major R. S. Randev who has resigned.

[File No. 19/41/C/L&C/66/3024-C/2/D(Q&C).]

का०नि०आ० 391.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि मेजर डी० एन० कपूर को मेजर आर०एस० रनदेव के जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड, महू के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं० 19/41/सी०/एल० एण्ड सी० /66/3024–सी०/4/डी० क्यू०एण्ड सी०)]

S.R.O. 392.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Kirkee by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Major S. C. Duggal, a nominated member.

[File No. 19/21/C/L&C/65/3022-C/1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 392.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, किरकी की सदस्यता में मेजर एस० सी० दुग्गल के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्त हो गई है ।

[फाइल सं० 19/21/सी०/एल० एण्ड सी०/65/3022–सी/3/डी (क्यू०एण्ड०सी०)]

S.R.O. 393.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Lt. Col. A. V. Gore has been nominated as a member of the Cantonment Board Kirkee *vice* Major S. C. Duggal who has resigned.

[File No. 19/21/C/L&C/65/3022-C/2/D(Q&C).]

का० नि०आ० 393.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि लें० कर्नल ए० वी० गोर को, मेजर एस० सी० दुग्गल के जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड किरकी के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं० 19/21 सी०/एल० एण्ड सी० 65/3022/सी/3 डी० (क्यू एण्ड सी०)]

S.R.O. 394.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Amritsar by reason of the acceptance by the Central Government of the resignation of Shri V. P. Dubey Magistrate Ist Class.

[File No. 19/55/C/L&C/67/3021-C/1/D(Q&C).]

का० नि० आ० 394.—छावनी अधिनियम 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि श्री विक्रम सिंह को, श्री डी० पी० दूबे के, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर छावनी बोर्ड अमृतसर के एक सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है ।

[फाइल सं० 19/55/सी०/एल० एण्ड सी०/67/3021–सी/3/डी० (क्यू० एण्ड सी०)]

S.R.O. 395.—In pursuance of sub-section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that Shri Bikram Singh Magistrate Ist Class has been nominated as a member of the Cantonment Board, Amritsar by the District Magistrate, Amritsar in exercise of the powers conferred under Section 13(3) (b) of that Act *vice* Shri V. P. Dubey Magistrate 1st Class resigned.

[File No. 19/55/C/L & C/67/3021-C/2/D(Q & C).]

S. P. MADAN, Under Secy.

का० नि० आ० 395.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप-धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि छावनी बोर्ड, अमृतसर की सदस्यता में श्री डी० पी० दूबे के त्यागपत्र के केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए जाने के कारण एक रिक्त हो गई है ।

[फाइल सं० 19/55/सी०/एल० एण्ड सी०/67/3021–सी०/4/डी० (क्यू एण्ड सी०)]

एस० पी० मदान, अवर सचिव

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970